



ई-मेल /

अति-आवश्यक

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-8)

(Ph. No. 0141-2227229, E-mail Id: pdme2k.rdd@rajasthan.gov.in)


क्रमांक प.5(7)ग्रावि/अनुभाग-8/सीएमआईएस /2019

जयपुर, दिनांक :

05 DEC 2019

बैठक सूचना


माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा व्यक्तिशः जनसुनवाई में प्राप्त प्रकरण एवं राजस्थान सम्पर्क पोर्टल 181 पर दर्ज प्रकरण के निस्तारण प्रगति की समीक्षा हेतु श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 06.12.2019 को प्रातः 11:00 बजे समिति कक्ष, प्रथम तल, उत्तरी-पश्चिमी भवन, सचिवालय में बैठक का आयोजित की गई है। इस बैठक में विभाग के सभी अनुभाग अधिकारी एवं मुख्यमंत्री महोदय की जनसुनाई प्रकरण तथा राजस्थान जनसम्पर्क पोर्टल का कार्य देख रहे संबंधित अधिकारी/कर्मचारी नवीनतम सूचना के साथ भाग लेंगे।

  
(हितबल्लभ शर्मा) 05/12/19

परि. निदेशक एवं पदेन उप सचिव  
(मो. एवं मू.)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- 2 निजी सचिव स्टेट मिशन निदेशक, (एलपी एण्ड एसएचजी), राजीविका, उद्योग भवन।
- 3 निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, पंचायती राज।
- 4 निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
- 5 निजी सचिव, निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण।
- 6 निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रावि।
- 7 आयुक्त, जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण।
- 8 अतिरिक्त आयुक्त-II, ईजीएस, ग्रावि।
- 9 परियोजना निदेशक एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस, ग्रावि।
- 10 संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन-1 & 2) पंचायती राज।
- 11 संयुक्त शासन सचिव (प्रशिक्षण/विधि) पंचायती राज।
- 12 संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन) ग्रामीण विकास।
- 13 संयुक्त शासन सचिव एवं उपायुक्त (जांच), पंचायती राज।
- 14 परि. निदे. एवं उप सचिव (एसएपी/मो. एवं मू./LP & SHG), ग्रामीण विकास।
- 15 स्टेट नोडल अधिकारी, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण।
- 16 अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण विकास/ईजीएस/पंचायती राज।
- 17 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायोफ्यूल।
- 18 संयुक्त निदेशक (मो.), पंचायती राज विभाग।
- 19 प्रभारी, राजस्थान सम्पर्क पोर्टल, ग्रावि/पंरावि/नरेगा।
- 20 परियोजना अधिकारी (प्रशासन), ग्रावि को भेज कर लेख है कि बैठक में उपस्थित अधिकारियों हेतु बैठक एवं जल-पान की व्यवस्था करावें।

  
परि. निदेशक एवं पदेन उप सचिव  
(मो. एवं मू.) 05/12/19